वाद सं0 51

केशो देवी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोंदाही बनाम गाँव सभा

वाद अंतर्गत धारा- 143 ज0वि0अधिनियम बाबत भूमि ग्राम अतोगी परगना रामपुर, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वादी वादी द्वारा दिये गये संशोधन प्रार्थना पत्र दि0 1-5-10 पर इस आशय से प्रारंभ हुआ तथा वादी ने यह याचना किया है कि पूर्व पारित आदेश दि0 25-1-10 में गाटा सं0 304/0.954 का ही पारित किया गया है जब कि गाटा सं0 305मि/0.063 को अपने आदेश में अंकित करने से लिपकीय भूल छोड़ दिया गया है, जिसे दुरुस्त /संशोधन किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो एवं संलग्न जाँच आख्याओ के अवलोकन एवं परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पूर्व पारित आदेश दि0 25-1-10 में संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। संशोधन किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः पूर्व पारित आदेश दि0 25-1-10 में संशोधन करते हुए पुनः आदेश दिया जाता है कि ग्राम अतोगी पर0 रामपुर, तह0 कुण्डा, प्रतापगढ़ की भूमि संख्या 304/0.954 व 305मि/0.063 जिसका संबंध कृषि, बागवानी, या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है, से न हो, ऐसी स्थिति में प्रख्यापन किया जा सकता है। तहसीलदार की आख्या दि0 25-1-10 से स्पष्ट है कि खातेदारों के संपूर्ण अंश को जो नियम 135 की रिपोर्ट में अंकित है, अकृषिक/औद्योगिक / घोषित करने योग्य है, उसे अकृषिक/औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबंधक कुण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय तदनुसार वाद अन्त दराम्द पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दि0 3/4/10

उप जिलाधिकारी,
कुण्डा-प्रतापगढ़।

Chairman
... Pharmacy College ...
... Pratapgarh

...

सत्य-प्रतिलिपि

नकल क्रमांक 1449